न्यायालयः- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी	**नीलम मीणा, आर.जे.एस**
नम्बरी फौजदारी संख्या	**372/2018**
सीएनआर नंबर	RJCH070006982018
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	**15/2018**
अंतर्गत धारा	**धारा 19/54 आरई एक्ट**
पुलिस थाना	**सिद्धमुख**

राज्य

-अभियोगी

बनाम

कालू उर्फ लीलाधर पुत्र रणजीत निवासी भीमसाना पुलिस थाना सिद्धमुख, चूरू

-अभियुक्त

-:अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950:-

उपस्थितिः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।
2. श्री **चरण सिंह पूनियां** विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

अपराध की तारीख	**13.02.2018**
एफआईआर की तारीख	**14.02.2018**
आरोप पत्र की तारीख	**30.05.2018**
चार्ज निर्धारण की तारीख	**25.05.2023**
प्रारम्भ साक्ष्य की तारीख	**27.09.2024**
बयान 313 सीआरपीसी की तारीख	**27.02.2026**
बहस सुनवाई	**13.03.2026**
निर्णय की तारीख	**13.03.2026**

-:निर्णयः- दिनांकः-13.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 13.02.2018 को रामविलास बिश्नोई मय जाब्ता गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की जयचंद पूनियां की दुकान जो कि बंद है, के आगे एक व्यक्ति कागज का कार्टून लिए जुआ खेल रहे व्यक्तियों के पास शराब बेच रहा है। इत्तिला विश्वसनीय होने पर हमराही जाब्ता को अवगत करवाया जाकर रवाना होकर मौजा भीमसाना की गली आम में जयचंद पूनियां की बंद पड़ी दुकान के आगे पहुंचा तो एक व्यक्ति

हाथ में कागज का कार्टून लिए अंधेरे की तरफ भागता हुआ नजर आया, जिस पर मन एसएचओ मय हमराहीयान के पीछा कर भागते शख्स को काबू कर नाम पता पूछा तो अपना नाम कालू उर्फ लीलाधर व भागने का कारण पूछने पर अपने पास कार्टून में देशी शराब ढोला मारू के पव्वे होने के कारण पुलिस पार्टी से डरकर भागना बताया। इस पर शख्स के पास अवैध शराब अपने कब्जा में रखने बाबत लाईसेंस व परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। शख्स कालू उर्फ लीलाधर द्वारा अपने कब्जा में इतनी मात्रा में अवैध शराब बिना लाईसेंस व परमीट रखना जुर्म धारा 19/54 राज.आब.अधि. के तहत दण्डनीय अपराध पाए जाने पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबीर तलब करने चाहे, मगर कोई व्यक्ति मौतबीर बनने को तैयार नहीं हुआ, इस पर हमराही मुलाजमान के समक्ष कटटा को चैक किया तो कटटे में 37 पव्वे ढोला मारू देशी शराब भरे हुए मिले। उक्त शराब में से एक पव्वा बतौर सैंपल अलग निकालकर मार्क ए अंकित किया व शेष शराब पर मार्क बी अंकित किया। अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर से बिना परमिट अवैध शराब बरामद होना जुर्म धारा 19/54 राज.आब.अधि. में अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर पीएस सिद्धमुख के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 15/2018 अंतर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि. में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि. में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः-

पद	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.ड. 1	संदीप कुमार	नक्शा मौका बाबत
पी.ड. 2	शुभकरण	फर्द जब्ती व नक्शा मौका बाबत
पी.ड.3	सुरेश कुमार	मालखाना बाबत
पी.ड.4	राजेन्द्र सिंह	फर्द जब्ती बाबत
पी.ड.5	रामनारायण	तफतीश बाबत
पी.ड.6	लीलाधर	कैरियर बाबत

पी.ड.7	रामविलास बिश्नोई	फर्द जब्ती व चार्जशीट बाबत

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

क्रम सं.	**प्रदर्शनी सं.**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 1 व 1ए	नक्शा मौका व हालात मौका
2	प्रदर्श पी 2	फर्द जब्ती
3	प्रदर्श पी 3	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
4	प्रदर्श पी-4	अग्रेषण पत्र
5	प्रदर्श पी 5	प्राप्ति रसीद
6	प्रदर्श पी 6	चॉक एफआईआर
7	प्रदर्श पी 7 ता 10	रोजनामचा प्रमाणित प्रतियां
8	प्रदर्श पी 11	एफएसएल रिपोर्ट
9	प्रदर्श पी 12	आपराधिक रिकॉर्ड प्रति
10	प्रदर्श पी 13	शराब निस्तारण बाबत आदेश
11	प्रदर्श पी 14	आरोप पत्र
12	प्रदर्श पी 15	वजह सबूत निस्तारण सूची
13	प्रदर्श पी 16	गिरफतारी की सूचना मुलजिम कालू उर्फ लीलाधर
14	प्रदर्श पी 17	फर्द गिरफतारी अंतर्गत धारा 41क द.प्र.सं. मुलजिम कालू उर्फ लीलाधर

5. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये तो अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई में किसी भी गवाह के बयान लेखबद्व नहीं करवाए गए।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस में यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के कब्जा एवं आधिपत्य से शराब बरामद होने के तथ्य को साबित नहीं

किया है। शराब बरामदगी स्थल सार्वजनिक स्थान होने पर शराब की जब्ती अभियुक्त के कब्जा से साबित होना साबित नहीं है। जब्तीकर्ता अधिकारी ने दौराने जब्ती स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनाये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने जब्ती के समय एवं अन्य सारभूत तथ्यों के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुलजिम के विरूद्ध अभियोजन अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है, मुलजिम को दोषमुक्त घोषित किया जाये। जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने बहस के जवाब में तर्क दिया कि अभियुक्त को मौके पर गिरफतार किया गया है। किसी व्यक्ति के गवाह के रूप में बनने को तैयार नहीं होने पर पुलिस मुलाजमान की उपस्थिति में जब्ती की कार्यवाही संपादित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल है तथा अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

'आया दिनांक 13.02.2018 को 11:40 पीएम पर रामविलास बिश्नोई जब्तीकर्ता अधिकारी पीएस सिद्धमुख ने जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर मौजा भीमसाना में जयचंद पूनियां की दुकान के आगे पहुंचकर अभियुक्त के कब्जे के कार्टून से कुल 37 पव्वे ढोला मारू देशी सादा शराब भरे समस्त सेल फॉर इन राजस्थान ऑनली बिना लाइसेंस व परमिट के बरामद की। यदि हाँ तो अभियुक्त की उपयुक्त सजा क्या होगी?''

7. न्यायालय ने उभय पक्ष द्वारा अग्रेषित तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड.-07 रामविलास बिश्नोई जब्तीकर्ता अधिकारी** का सशपथ बयान है कि दिनांक 13.02.2018 को 11:10 पीएम पर मय जाप्ता अवैध शराब की कार्यवाही के लिए रवाना होकर भीमसाना गांव पहुंचे तो संदीप कुमार कानि. ने राजेन्द्र चालक को जरिये मोबाइल सूचना दी कि जयचंद पूनियां की दुकान जो बंद है उसके आगे एक व्यक्ति कागज का कार्टून लिये शराब बेच रहा है व पास ही कुछ व्यक्ति वहां जुआ खेल रहे है। राजेन्द्र ने उक्त सूचना से गवाह को अवगत कराया जिस पर मय जाप्ता जयचंद पूनियां की बंद पडी दुकान के आगे पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में कागज का कार्टून लिये पुलिस पार्टी को देखकर अंधेरे की तरफ भागता हुआ नजर आया जिसका पीछा कर काबू में लेकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कालू उर्फ लीलाधर होना बताया। भागने का कारण पूछा तो कार्टून में देसी शराब ढोला मारू के पव्वे होना बताया। कार्टून को चेक किया तो 37 पव्वे ढोला मारू देसी शराब मिले। इस बाबत लाइसेंस परमिट पूछा तो नही होना बताया। 37 पव्वे प्लास्टिक के जिनके लेबल पर ढोला मारू देसी सादा शराब केवल राजस्थान में बिक्री के लिए 180

एमएल अंकित था एक ही मार्का होने से एक पव्वा बतौर सैंपल निकालकर सील मोहर कर मार्क ए अंकित किया। बाकी को उसी कार्टून में डालकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया। पूछने पर अवैध शराब बेचकर 210 रूपये कमाना बताया। स्वतंत्र मोतबीर की तलाशी के लिए शुभकरण कानि. को भेजा। लेकिन रात का समय होने व पुलिस का मामला होने से कोई मोतबीर बनने को तैयार नही हुआ जिस पर राजेन्द्र व शुभकरण को मोतबीर बनाकर कालू उर्फ लीलाधर की जेब में मिले अवैध शराब के 210 रूपये को एक लिफाफे में डालकर मार्क सी अंकित किया व जरिये फर्द गिरफतार किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 2 पर ई से एफ, सूचना कारण गिरफतारी प्रदर्शपी 16 व 17 पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर व प्रदर्शपी 2 पर आई से जे कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। चाक एफआईआर प्रदर्शपी 6 पर ए से बी गवाह, गवाह की आमद रवानगी की रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 7 व 8 पर ए से बी रामनारायण व प्रदर्शपी 9, 10 पर उसके हस्ताक्षर है। रामनारायण एएसआई ने अनुसंधान के पश्चात् मुल्जिम कालू उर्फ लीलाधर के विरूद्ध जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रमाणित मानकर पत्रावली गवाह के समक्ष पेश की। जिस पर उसनें आरोप पत्र प्रदर्शपी 14 न्यायालय में पेश किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

8. इसी प्रकार **गवाह पी.ड.-02 शुभकरण** ने **गवाह पी.ड.-07 रामविलास बिश्नोई जब्तीकर्ता अधिकारी** द्वारा किये गये बरामदगी बाबत सशपथ कथनों की पुनरावृति करते हुए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होने कथन करता है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार **गवाह पी.ड.-04 राजेन्द्र सिंह** ने **गवाह पी.ड.-07 रामविलास बिश्नोई** जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये बरामदगी बाबत सशपथ कथनों की पुनरावृति करते हुए फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-02 पर सी से डी गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

9. इसी प्रकार **गवाह पी.ड.-01 संदीप कुमार** का सशपथ बयान है कि दिनांक 15.02.2018 को अनुसंधान अधिकारी रामनारायण एएसआई ने उसके व शुभकरण के रूबरू घटनास्थल गांव भीमसाना दुकान जयचंद के सामने पहुंचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार **गवाह पी.ड.-03 सुरेश कुमार** का सशपथ बयान है कि दिनांक 14.02.2018 को वह मालखाना का इंचार्ज था। उस रोज थानाधिकारी रामविलास विश्नाई ने तीन पेकेट एक पव्वा सील्ड शुदा मार्क ए ढोला मारू देसी शराब व एक गते के कार्टून जिसमें 36 प्लास्टिके के देसी पव्वे ढोला मारू सील्ड शुदा मार्क बी व एक लिफाफे जिसमें 210 रूपये नकद सील्ड शुदा मार्क सी मालखाना में जमा कराने के लिए गवाह को सुपुर्द किये। जिसका इंद्राज उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम सं. 273 पर कर

वजह सबूत जमा मालखाना किया। दिनांक 26.02.2018 को कानि. लिलाधर को एक पव्वा सील्ड शुदा वास्ते परिक्षण एफएसएल हेतु सुपुर्द कर कार्यालय एसपी ऑफिस चूरू रवाना किया। कानि. दिनांक 28.02.2018 को सील्ड शुदा हालत में एफएसएल जमा करवाकर रसीद पेश की जो मालखाना में इंद्राज कर थानाधिकारी रामविलास विश्नोई को सुपुर्द कर दी। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श पी 3 पर ए से बी रामनारायण एएसआई के हस्ताक्षर है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 4, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 5 है।

10. इसी प्रकार **गवाह पी.ड.-05 रामनारायण** का सशपथ बयान है कि दिनांक 14.02.2018 को थानाधिकारी रामविलास विश्नोई ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 2 पर प्रकरण दर्ज कर तफतीश गवाह के हवाले की। प्रदर्श पी 2 में इ से एफ, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 पर ए से बी रामविलास जी के हस्ताक्षर हैं। दौराने तफतीश नक्शा मोका प्रदर्श पी 1 पर इ से एफ व हालात मोका प्रदर्श पी 1ए, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3, रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी 7 ता 10 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 4, प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 5, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 11, मुलजिम का अपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 12 हैं। प्रकरण में जप्तशुदा शराब के निस्तारण बाबत किया गया आवेदन प्रदर्श पी 13 पर ए से बी थानाधिकारी रामविलास के हस्ताक्षर हैं। तफतीश से मुलजिम कालू उर्फ लिलाधर के विरूद्ध जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को पेश की जिन्होंने आरोप पत्र प्रदर्श पी 14 न्यायालय में पेश की।

11. इसी प्रकार **गवाह पी.ड.-06 लीलाधर** का सशपथ बयान है कि दिनांक 26.02.2018 को पुलिस थाना सिद्धमुख में कानि के पद पर कार्यरत था उस रोज मालखाना इंचार्ज सुरेश कुमार हेडकानि ने प्रकरण का सील्ड नमूना सैंपल एक पव्वा शराब मार्क ए व अग्रेषण पत्र जारी कराने के लिए मय कागजात एसपी आॅफिस चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए व एफएसएल जोधपुर में जमा कराने के लिए सुपुर्द किया जिस पर गवाह ने एसपी आॅफिस चूरू पहुंच अग्रेषण पत्र जारी करवाकर दिनांक 28.02.2018 को एफएसएल जोधपुर में सील्ड नमूना सैंपल मय अग्रेषण पत्र जमा कराकर रसीद लाकर सुपुर्द की। नमूना जब तक गवाह के कब्जे में रहा सुरक्षित और सीलबंद रहा। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 4, प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 5, तथा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3 है। जिसकी मुल गवाह आज साथ लाया है जो प्रदर्श पी 3ए है जिस पर सी से डी गवाह के इ से एफ सुरेश कुमार के हस्ताक्षर एवं जी से एच गवाह की रवानगी बाबत रिपोर्ट है।

12. उभय पक्ष द्वारा अपनी बहस में दिये गये तर्क के संदर्भ में पत्रावली के

अवलोकन से यह प्रकट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-07 रामविलास बिश्नोई ने अपने सशपथ कथन में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-02 में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ति करते हुए कथन किया है कि दिनांक 13.02.2018 को रामविलास बिश्नोई मय जाब्ता गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की जयचंद पूनियां की दुकान जो कि बंद है, के आगे एक व्यक्ति कागज का कार्टून लिए जुआ खेल रहे व्यक्तियों के पास शराब बेच रहा है। इत्तिला विश्वसनीय होने पर हमराही जाब्ता को अवगत करवाया जाकर रवाना होकर मौजा भीमसाना की गली आम में जयचंद पूनियां की बंद पड़ी दुकान के आगे पहुंचा तो एक व्यक्ति हाथ में कागज का कार्टून लिए अंधेरे की तरफ भागता हुआ नजर आया, जिस पर मन एसएचओ मय हमराहीयान के पीछा कर भागते शख्स को काबू कर नाम पता पूछा तो अपना नाम कालू उर्फ लीलाधर व भागने का कारण पूछने पर अपने पास कार्टून में देशी शराब ढोला मारू के पव्वे होने के कारण पुलिस पार्टी से डरकर भागना बताया। इस पर शख्स के पास अवैध शराब अपने कब्जा में रखने बाबत लाईसेंस व परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। पत्रावली में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मौका पर उपस्थित गवाहन जब्तीकर्ता अधिकारी रामविलास बिश्नोई, शुभकरण व राजेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर से मौके पर ही शराब जब्त करने बाबत कथन किए हैं। वक्त घटना मुलजिम मौके पर उपस्थित ना हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं की गई है।

इसके अलावा जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क गवाह के बयानों में विरोधाभाष है तो इस संबंध में माननीय न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत-

सम्मानीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2013(1) क्रिमिनल 595 बाबू खां व अन्य बनाम राज्य के प्रकरण में भी यह विधि प्रतिपादित की गई है किः-

Due to lapse of time or due to mental capacity of witness there is always normal discrepancies in the deposition of witness- So it can be ignored.

13. इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात फर्द जब्ती प्रदर्श पी-02 के अनुसार घटना दिनांक 13.02.2018 की होना प्रकट है और तत्पश्चात अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह वर्ष 2026 तक न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, ऐसे में इतने समय अंतराल के पश्चात गवाहन के बयानों में परीक्षण के दौरान मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति होना प्रकट हुआ है। न्यायालय के मत में वर वक्त जब्ती मौका पर उपस्थित गवाहन से दौराने साक्ष्य जब्ती की कार्यवाही के समय का हूबहू वृतांत प्रकट करने की अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती। अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचनोंपरांत अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता, जो अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मौका पर उपस्थित अन्य गवाहन पी.ड.-02 शुभकरण व पी.ड.-04 राजेन्द्र सिंह ने भी जब्तीकर्ता अधिकारी के कथनों की ताहिद करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि जब वे दौराने गश्त मुखबीर सूचना मिलने पर मौजा भीमसाना गांव के पास जयचंद पूनियां की दुकान के आगे पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने हाथ में कागज का कार्टून लिए हुए अंधेरे की तरफ भागता हुआ दिखाई, जिसे हमराही जाब्ता की सहायता से काबू कर नाम पता पूछा तो अपना नाम कालू उर्फ लीलाधर बताया व कार्टून बाबत पूछा तो अवैध शराब होना बतया। इस पर शख्स कालू उर्फ लीलाधर को अवैध शराब अपने कब्जा में रखने बाबत लाईसेंस व परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। शख्स कालू उर्फ लीलाधर द्वारा अपने कब्जा में इतनी मात्रा में अवैध शराब बिना लाईसेंस व परमीट रखना जुर्म धारा 19/54 राज.आब.अधि. के तहत दण्डनीय अपराध होने पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबीर तलब करने चाहे, मगर कोई व्यक्ति मौतबीर बनने को तैयार नहीं हुआ, इस पर हमराही मुलाजमान के समक्ष कार्टून को चैक किया तो कार्टून में 37 पव्वे ढोला मारू देशी शराब राजस्थान राज्य में विक्रय योग्य भरे हुए मिले।

पत्रावली में जहां तक जब्ती में स्वतंत्र मौतबीर नहीं रखने का तर्क है तो इस संदर्भ मेंः-

माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1962)0 सुप्रीम (राज.) 3607 राज्य बनाम श्रीनारायण के मामलें में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह विधि प्रतिपादित किया है किः-

Excise Act, Sec. 54- Where recovery proved, illeglity or irregularity in search does not vitiate trial where it does not prejudice accuse.

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के मत में प्रकरण में परीक्षित कराए गए सभी गवाह पुलिस वाले गवाह है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी गवाह के कथनों पर केवल मात्र इस तथ्य से संदेह किया जाना उचित नहीं है कि वह सभी गवाह पुलिस वाले होने से हितबद्ध गवाह है, किन्तु तत्क्षण विधि की यह भी अपेक्षा है कि पुलिस वाले गवाह सामान्य गवाह से अधिक सक्षम होते हैं एवं उनके कथन एक दूसरे के कथनों से इस प्रकार जुड़े हुए एवं सम्पुष्ट होने चाहिए कि उनके परस्पर बयानों का विरोधाभास सामने ना आए।

15. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए मौका पर उपस्थित सभी गवाहान ने दिनांक 13.02.2018 को जासे के रामविलास बिश्नोई, शुभकरण व राजेन्द्र सिंह के साथ गश्त हेतु रवाना होने पर जरिए मुखबीर सूचना

मिलने पर मौजा भीमसाना के पास जयचंद पूनियां की दुकान के आगे पहुंचकर अभियुक्त के कब्जा से 37 पव्वे ढोला मारू देशी शराब फॉर सेल इन राजस्थान ऑनली अंकित की हुई मिलना व लाईसेन्स व परमिट मौके पर नही मिलने बाबत कथन किये है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित तथ्यों की पूर्णतः पुष्टि गवाहन ने उनके मुख्य परीक्षण में की है। प्रकरण में परीक्षित कराए गए गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति परीक्षण में कोई विरोधाभाष सामने नही आया है। पत्रावली पर फर्द बरामदगी व जब्ती प्रदर्श पी-02 उपलब्ध है जिस पर नमूना सील भी एक्स स्थान पर अंकित है। उक्त फर्द जब्ती के गवाहान को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया हैं जिन्होंने फर्द जब्ती पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। पत्रावली पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 संलग्न है। पत्रावली पर हस्तगत प्रकरण में जब्त शराब का नमूना परीक्षण हेतु सहायक रसायनिक परीक्षक आबकारी प्रयोगशाला जोधपुर में भिजवाने बाबत अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-04 पत्रावली पर संलग्न है तथा सहायक रसायनिक परीक्षक आबकारी प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 में सहायक रसायनिक परीक्षक आबकारी प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ में ईथाइल एल्कोहल होना पाया गया है। गवाह पी.ड.-05 रामनारायण अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने द्वारा किये गये अनुसंधान का विवरण देते हुए तैयार फर्दात को पेश कर प्रदर्शित करवाया है।

16. हस्तगत प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी रामविलास बिश्नोई द्वारा अभियुक्त के कब्जा से अवैध शराब जब्तकर वर वक्त जब्ती सैंपल सील्ड कर कैरियर लीलाधर के मार्फत एफएसएल हेतु जोधपुर में जमा करवाने बाबत सुपुर्द करना और जोधपुर सैंपल केरियर द्वारा वजह सबूत सैंपल एक पैकेट सील्डशुदा हालत में प्राप्त कर एफएसएल जांच हेतु जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद को जमा करवाने के संबंध में बतौर एक श्रृखंलाबद्ध श्रेणी में समस्त तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श् पी-11 के अनुसार जब्तशुदा पदार्थ में इथाइल एल्कोहल होना भी पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर संदेह किए जाने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दौराने जिरह भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा साक्षी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिससे गवाहों के बयानों में विरोधाभाष उत्पन्न होता हो। जहां तक दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण के सभी गवाह पुलिस मुलाजमान है, किंतु पुलिस द्वारा अभियुक्त को रंजिशवश झूठा फंसाया गया हो तथा अभियुक्त के विरूद्ध झूठी कार्यवाही की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। ना ही अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम में ऐसा कोई कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपनी बचाव में ना तो स्वंय को ना किसी अन्य को न्यायालय के

समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि का अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है।

17. ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान व प्रदर्शित करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज. आब. अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

-:आदेश:-

18. अतः अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर पुत्र रणजीत निवासी भीमसाना पुलिस थाना सिद्धमुख, चूरू को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधि. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित पेशी पर उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(नीलम मीणा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजगढ़, जिला चूरू

सजा के बिन्दू परः-

19. सजा के बिन्दू पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। इससे पूर्व उसके विरूद्ध कोई दोषसिद्धि साबित नहीं है। अभियुक्त ग्रामीण परिवार का व्यक्ति है और उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड सकता है। भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं होगी। अतः अभियुक्त पर नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा लाभ दिया जावे जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए अभियुक्त को उपयुक्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

20. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के कब्जा से 37 पव्वे ढोला मारू देशी शराब भरे बिना किसी वैद्य लाइसेंस या परमिट बरामद करना साबित है। यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के प्रकरण होने के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी-12 को पेश किया गया है, किंतु अभियुक्त द्वारा पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया गया हो या पूर्व की की दोषसिद्धि होने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिए जाने के संबंध में अभियुक्त द्वारा अलग से शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी की आयु, शील या पूर्ववृत एवं पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने के तथ्य तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अभियुक्त

को तुरंत कारावास से दण्डित नहीं कर परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर को परिवीक्षा लाभ दिया जाना ही न्यायोचित पाया गया है।

-::आदेश::-

21. अतः अभियुक्त कालू उर्फ लीलाधर पुत्र रणजीत निवासी भीमसाना पुलिस थाना सिद्धमुख, चूरू को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राज.आब.अधिनियम 1950 के अपराध में दोषसिद्वि पर तुरन्त कारावास की सजा से दन्डित न कर अपराधी परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधी हेतु 10,000/-रूपये के प्रतिज्ञा पत्र एवं जमानत इस आशय की पेश कर तस्दीक करवा दे कि अभियुक्त उक्त अवधि में परिशान्ति बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृर्ति नहीं करेगा एवं जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित हो जायेगा। अभियुक्त परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय राशि 800/-रूपये (अक्षरे आठ सौ रूपये) जमा करवायेगा। अभियोजन व्यय जमा करवाना परीविक्षा के लाभ की पूर्ववर्ती शर्त रहेगी। परीविक्षा की शर्त की पालना नहीं करने पर अभियुक्त को नियमानुसार दण्ड सुनाया जायेगा, दण्ड के लिये तैयार रहे। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में जब्तशुदा अवैध शराब मुताबिक फर्द जब्ती को बाद गुजरने मियाद अपील या अपील होने की स्थिति में अपील के निस्तारण के पश्चात नियमानुसार निस्तारित किया जावे। इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(नीलम मीणा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजगढ़, जिला चूरू

22. **निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।**

(नीलम मीणा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजगढ़, जिला चूरू

RAVINDRA KUMAR
stenographer grade III
Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.03.19 12:49:15 +0500